26/01/2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-10 सपठित धारा 151 CPC पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। प्रार्थी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा-10 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है एवं इस वाद पर कार्यवाही रोकी जाती है। पत्रावली पूर्ववर्ती वाद के निस्तारण तक अथवा कोई भी प्रार्थना

ायक कलक्टर
ायपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम सूरजके

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	
	26.09.2026	पत्र पेश होने तक दाखिल दफ्तर हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिशल किया जावे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

बइजलासः– डॉ0 सरिता शर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान बाबूलाल बनाम सूरज

दावा 46/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांकः– 26/9/25

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है किः–अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 ने दिनांक 27.05.2025 को उपस्थित होकर, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि हस्तगत वाद ग्राम नांगल जैसाबोहरा तहसील व जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 15, 16, 18, 22, 26, 28 के संबंध में पेश किया गया है। समान खसरा नम्बरों के लिए न्यायालय हाजा में एक अन्य वाद बउनवानी मदन बनाम सूरज पूर्व में ही पेश है, जिसमें वादी बाबूलाल, प्रतिवादी संख्या 05 के रूप में संयोजित है। पूर्ववर्ती वाद उनवानी मदन बनाम सूरज में कार्यवाही चालू रखते हुए, पश्चात्वर्ती हस्तगत वाद में तथ्य छिपाते हुए पेश किया गया है, जिसकी कानूनी रूप से कार्यवाही रोकी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में विचाराधीन वाद का सिद्धान्त यह सुनिश्चित करता है कि समान पक्षकारों के बीच, समान अनुतोष को लेकर एक ही न्यायालय में एक से अधिक वाद पेश नहीं किये जा सकते है।

अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद तकासमा/विभाजन का है तथा अन्य वाद घोषणा का पेश किया हुआ है। इस प्रकार पूर्ववर्ती वाद व पश्चातवर्ती वाद में चाहा गया अनुतोष व पक्षकार भिन्न–भिन्न है। दोनों वादों में केवल भूमि समान है। दोनों वादों का अलग–अलग निर्णय होना है, दोनों वादों के निर्णय से एक–दूसरे के उपर कोई असर नहीं पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है पूर्ववर्ती वाद बउनवानी मदन बनाम सूरज एवं पश्चात्वर्ती वाद बाबूलाल बनाम सूरज दोनों दावों में विवादित भूमि एक समान है। पूर्ववर्ती वाद (उनवानी मदन बनाम सूरज) में आनुषंगिक अनुतोष में विभाजन का अनुतोष भी चाहा है। चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता धारा–10 में उल्लेखित प्रावधानानुसार एक ही भूमि को लेकर समान पक्षकारों एवं समान अनुतोष के लिए एक से अधिक वाद पेश नहीं किए जा सकते है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती वाद में कार्यवाही रोके जाने का प्रावधान है। अतः हस्तगत वाद पश्चात्वर्ती वाद की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं इस वाद पर कार्यवाही रोकी जाती है। पत्रावली पूर्ववर्ती वाद के निस्तारण तक अथवा कोई भी प्रार्थना पत्र पेश होने तक दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो।

(डॉ0 सरिता शर्मा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम